

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- धन्नाराम पुत्र घीसूराम -:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 207/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

24.06.23

२२

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प खराड़ी में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- बलुन्दा में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 646 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम धन्ना पुत्र घीसू दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में धन्नाराम पुत्र घीसूराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम धन्ना पुत्र घीसू के स्थान पर धन्नाराम पुत्र घीसूराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान खराड़ी में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आ. कालु व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- बलुन्दा में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 646 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम धन्ना पुत्र घीसू दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में धन्नाराम पुत्र घीसूराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम धन्ना पुत्र घीसू के स्थान पर धन्नाराम पुत्र घीसूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आ. कालु व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- बलुन्दा में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 646 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि धन्ना पुत्र घीसू को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " धन्नाराम पुत्र घीसूराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO

अखण्ड अधिकारी एवं पटवारी  
राज्य सरकार, जैतारण

